मोटर वाहनों का रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता

किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी चलायेगा और कोई मोटर यान का स्वामी चलाने की स्वीकृति देगा तब कि वह मोटर यान अधिनियम 1988 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हो।

रजिस्ट्रीकरण कहाँ किया जाना है

प्रत्येक मोटर–यान का स्वामी यान को उस रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से रजिस्ट्रीकरण करवायेगा जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में मोटर–यान के स्वामी का–

1. निवास या कारोबार का स्थान है या,
2. वह मोटर–यान साधारणतया रखा जाता है।

रजिस्ट्रीकरण की वैधता

गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन उसके रजिस्ट्रेशन जारी करने की दिनांक से 15 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा एवं उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के लिए उसका नियमानुसार नवीनीकरण किया जायेगा।

<u>रजिस्ट्रीकरण कैसे होना है</u>

I <u>प्रक्रिया</u>

संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्ररूप 20 में आवेदन निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हुए किया जायेगाः–

1. प्ररूप 21 में विक्रय प्रमाण–पत्र (मूल प्रति)
2. प्ररूप 22 में विनिर्माता द्वारा जारी किया गया सड़क उपयुक्तता का प्रमाण पत्र
3. प्ररूप 22 'ए' (उन यानों के लिये जिनकी बॉडी चेसिस पर निर्मित की गई है) पार्ट I- विनिर्माता द्वारा जारी किया जायेगा
   पार्ट II- बॉडी विनिर्माता द्वारा जारी किया जायेगा।
4. विधिमान्य बीमा की सत्यापित प्रति
5. वाहन के मूल बिल की प्रति
6. वाहन स्वामी के इनकमटैक्स संबंधी परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर (PAN) की सत्यापित प्रति / प्रपत्र संख्या 60
7. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार निवास स्थान के निम्नलिखित प्रमाणों में से किन्हीं भी 2 प्रमाणों की सत्यापित प्रतियां :–
   (i) फोटो पहचान पत्र
   (ii) निर्वाचक नामांकन
   (iii) जीवन बीमा पॉलिसी
   (iv) पासपोर्ट
   (v) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची
   (vi) अथवा इस बाबत नियमानुसार स्वीकृत अन्य कोई प्रमाण की प्रति
8. वाहन स्वामी की नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो फोटो
9. यदि वाहन हायर पर्चेज पर हो तो प्रपत्र संख्या 34
10. आवश्यकतानुसार अस्थाई पंजीयन की मूल प्रति
11. आयातित यानों की दशा में कस्टम क्लीयरेंस प्रमाण पत्र आयातित लाइसेंस और बॉण्ड (यदि कोई हो तो)
12. वाहन का निरीक्षण
13. केन्द्रीय मोटर–वाहन नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार निर्धारित फीसः–
   (i) मोटर साइकिल – रूपये साठ
   (ii) हल्की मोटर गाड़ियांः–
      (I) नॉन ट्रांसपोर्ट – रूपये दो सौ।
      (II) हल्का व्यवसायिक वाहन – रूपये तीन सौ।

(iii) मध्यम भार वाहन – रूपये चार सौ।
(iv) मध्यम यात्री मोटर वाहन – रूपये चार सौ।
(v) भारी भार वाहन – रूपये छः सौ।
(vi) भारी यात्री मोटर वाहन – रूपये छः सौ।
(vii) आयातित मोटर वाहन – रूपये आठ सौ।
(viii) आयातित मोटर साइकिल – रूपये दो सौ।

नोटः–

राजस्थान सरकार ने अशक्त यात्री गाड़ी (जो अनन्य रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली जाती है) के पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान कर रखी है।

यदि पंजीयन प्रमाण पत्र कम्प्यूट्रीकृत स्मार्ट कार्ड पर जारी होगा तो निर्धारित फीस के साथ ही दो सौ रूपये अतिरिक्त फीस जमा करानी होगी।

14. राजस्थान मोटर–वाहन कराधान अधिनियम, 1951 के अनुसार कर

<u>रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्रों के प्रारूप</u>

<u>प्ररूप संख्या 20</u>

(प्ररूप सं. 20)
किसी मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(दो प्रतियों में किया जाना है, यदि यान किसी अवक्रय/करार पट्ट करार/आड़मान के अधीन रखा गया है और दूसरी प्रति मोटर यान के रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन के साथ वित्तपोषक को लौटा दी जावेगी)
सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, ...

1. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा नाम .... की पत्नी/का पुत्र/की पुत्री

2. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति की आयु ....

3. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले व्यक्ति का स्थायी पता (साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय) ....

4. रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति का अस्थायी पता .. ..

5. विनिर्माता या व्यौहारी का नाम और पता जिससे यान का क्रय किया गया था। (विनिर्माता द्वारा जारी किया गया विक्रय प्रमाण पत्र तथा सड़क पर सही चलने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)

6. यदि सेना का भूतपूर्व यान या आयातित यान है तो सबूत संलग्न करें। यदि स्थानीय रूप से विनिर्मित ट्रेलर/अर्धट्रेलर है तो राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाइन संलग्न करें और कार्यवाही संख्यांक और अनुमोदन की तारीख नोट करें।

7. यान का वर्ग (यदि मोटर साइकिल है तो गियर वाली है या बिना गियर की है) ....

8. मोटर यान – (क) नया यान है; (ख) सेना का भूतपूर्व यान है; (ग) आयातित यान है।

9. बाडी का प्रकार ....

10. यान का प्रकार ....

11. विनिर्माता का नाम ....

12. विनिर्माण का वर्ष ....

13. सिलेन्डरों की संख्या ....

14. अश्व शक्ति ....

15. धन धारिता ....

16. विनिर्माता का वर्गीकरण यदि ज्ञात नहीं है तो पहिये का आधार ....

17. चैसिस संख्यांक (पेन्सिल का चिह्न लगायें)

18. इंजिन संख्यांक ....

19. बैठने के स्थान (चालक सहित) ....
20. इंजिन में उपयोग किया गया ईंधन ....
21. लदान रहित भार ....
22. पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां और रजिस्ट्रीकृत संख्यांक (यदि कोई हो) ....
23. बाडी, बाजू या अग्रसिरों का रंग/के रंग ....

मैं घोषणा करता हूँ कि यान का भारत में किसी भी राज्य में रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है।

अतिरिक्त विशिष्टियां जो मोटर–कैब से भिन्न परिवहन यान की दशा में ही भरी जानी हैं–

(24. टायरों की संख्या, वर्णन, आकार और टायरों की प्लाई–रेटिंग–)
(क) अगली धुरी .... (ख) पिछली धुरी ....
(ग) कोई अन्य धुरी .... (घ) टेन्डम धुरी ....

25. सकल यान भार –
(क) विनिर्माता द्वारा यथा प्रमाणित .... कि.ग्रा.
(ख) रजिस्ट्रीकरण किया जाने वाला .... कि.ग्रा.

26. अधिकतम धुरी भार –
(क) अगली धुरी .... किलोग्राम
(ख) पिछली धुरी .... किलोग्राम
(ग) कोई अन्य धुरी .... किलोग्राम
(घ) टेन्डम धुरी .... किलोग्राम

27. (क) समग्र लम्बाई .... (ख) समग्र चौड़ाई ....
(ग) समग्र ऊंचाई .... (घ) प्रलंबन ....

उपरोक्त विशिष्टयां, दृढ़ ढांचे वाले ऐसे मोटर यान के लिए, जो दो या दो से अधिक धुरी वाला है, संलग्न यान के लिए जो तीन या तीन से अधिक धुरी वाली है, या जहां तक लागू हो, ट्रेलर के लिए, भरी जाएंगी। जहां किसी संलग्न मोटर यान के साथ दूसरी ट्रेलर या अतिरिक्त ट्रेलर रजिस्टर किए जाने हैं वहां ऐसे प्रत्येक ट्रेलर के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी –

28. बाडी का टाइप ....
29. लदान रहित भार ....
30. प्रत्येक धुरी पर टायरों की संख्या, विवरण और माप ....
31. प्रत्येक धुरी के बारे में अधिकतम धुरी भार ....
32. यान, अधिनियम के अध्याय 11 के .... का (कम्पनी का नाम) बीमा प्रमाण पत्र या कवर नोट सं. .... अधीन विधिमान्य बीमा प्रमाण पत्र .... तारीख .... के अन्तर्गत आता है। .... से .... तक विधिमान्य है।
33. यान, बीमे से छूट प्राप्त है/सुसंगत आदेश संलग्न है।
34. मैंने .... रूपए की विहित फीस का संदाय कर दिया है। तारीख .... रजिस्ट्रीकृत स्वामी, के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठा चिह्न

टिप्पणी – ऊपर वर्णित मोटर यान –

(i) .... के साथ किए गए अवक्रय करार/पट्टा करार के अधीन रहते हुए है।

(ii) .... के पक्ष में आडमान के अधीन रहते हुए है।

(iii) अवक्रय करार या पट्टा करार के अधीन धारित नहीं है या आडमान के अधीन नहीं हैं।

टिप्पणी – जो लागू न हों उसे काट दें

यदि यान किसी करार के अधीन है तो वित्तपोषक के हस्ताक्षर, जिसके साथ ऐसा करार किया गया है, लिए जाएंगे।

स्वामी के हस्ताक्षर या अंगूठा चिह्न

वित्तपोषक के हस्ताक्षर जिसके साथ अवक्रय करार, पट्टा करार या आडमान किया गया हैं।

प्रमाण–पत्र (यान का निरीक्षण किया)

प्रमाण पत्र किया जाता है कि आवेदन में अन्तर्विष्ट विशिष्टियां सही हैं, और यह कि यान, मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं

निरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदाभिधान ....

(कार्यालय पृष्ठांकन के लिए)

निर्देश सं. .... का कार्यालय .... तारीख .... जिसकी चैसिस सं. .... और इंजिन सं. .... उपरोक्त मोटर यान को रजिस्ट्रीकरण संख्यांक .... वित्तपोषक के साथ अवक्रय करार/पट्टा करार/आडमान के अधीन है।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

सेवा में, ... (वित्तपोषक का नाम और पता) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या उचित पावती के अधीन परिदत्त।

रजिस्ट्रीकृत–स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले व्यक्ति और वित्तपोषक के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ चिन्ह के नमूने मूल आवेदन पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अंकित और प्रमाणित व कार्यालय मुद्रांकित करवाने के लिए प्ररूप–23 में इस प्रकार प्राप्त किए जाएंगे कि मुद्रा या मुहर या स्टाम्प और सत्यापन प्रत्येक हस्ताक्षर पर पड़ेगा।

वित्तपोषक के नमूने के
हस्ताक्षर (1) ....
(2) ....

रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नमूने
हस्ताक्षर (1) ....
(2) ....

<u>प्ररूप संख्या 21</u>

प्ररूप सं. 21 (नियम 47 (क) और (ख) देखिये)
विक्रय प्रमाण पत्र

(मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के लिए विनिर्माता/व्यौहारी या (सेना की नीलामी वाले यानों की दशा में) रक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किए जाने के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि .... यान का ब्रांड नाम .... का, हमारे द्वारा .... क्रेता (तारीख) .... को जो श्री (क्रेता का नाम) .... का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री है। पते (स्थायी) .... (अस्थायी) पर परिव्यक्त किया गया हैं यान .... के साथ /अवक्रय करार/पट्टा करार/आडमान के अधीन धारित हैं

यान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

1. यान का वर्ग ....
2. विनिर्माता का नाम ....
3. चैसिस संख्यांक ....
4. इंजिन संख्यांक ....
5. अश्वशक्ति या धन धारिता ....
6. उपयोग में किया जाने वाला ईंधन ....
7. सिलेंडरों की संख्या ....
8. विनिर्माण का वर्ष ....
9. बैठने के स्थान (चालक सहित) ....
10. लदान रहित भार ....
11. अधिकतम धुरी भार और टायरों की संख्या तथा वर्णन (परिवहन यान की दशा में) –
    (क) अगली धुरी .... (ख) पिछली धुरी ....
    (ग) कोई अन्य धुरी .... (घ) टेंडम धुरी ....
12. बाडी का/के रंग ....
13. सकल यान भार ....
14. बाडी का टाइप ....

जो लागू न हो उसे काट दें। विनिर्माता/व्यौहारी या रक्षा विभाग के अधिकारीके हस्ताक्षर

<u>प्ररूप संख्या 22</u>

प्ररूप संख्या – 22
(देखिये – नियम 47 (छ) 115 (6) – 2 (115–क, 124, 126–क और 127))
प्रदूषण मानकों/संघटकों की सुरक्षा मानकों की पालना और सड़क –
योग्यता का प्रारम्भिक प्रमाण–पत्र (विनिर्माता द्वारा जारी किया जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि .... (यान का ब्रान्ड नाम), जिसकी चैसिस संख्यांक .... और इंजिन संख्यांक .... है, मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुरूप हैं

विनिर्माता के हस्ताक्षर

प्ररूप–22 विनिर्माता के हस्ताक्षर के साथ सम्यक् रूप से छपे हुए प्ररूप पर स्याही से हाथ से हस्ताक्षर करते हुए विनिर्माता के हस्ताक्षर और मोहर के अधीन जारी किया जाएगा।

प्ररूप संख्या 22 (क)

प्ररूप सं. 22 (क)
(देखिये–नियम 47 (छ), 124, 126–क और 127)
प्रदूषण मानकों/संघटकों के सुरक्षा मानकों और सड़क–योग्यता
की अनुपालना का प्रमाण–पत्र
(उन यानों के लिए जिनकी बॉडी अलग से निर्मित की गई है)

भाग–I

(विनिर्माता द्वारा जारी किया जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि .... (यान का ब्रांड नाम), जिसकी चैसिस संख्यांक .... और इंजिन संख्यांक .... है, मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप है।

1(चैसिस के विनिर्माता के हस्ताक्षर)

प्ररूप–22 (क) भाग– I विनिर्माता के हस्ताक्षर के साथ सम्यक् रूप से छपे हुए प्ररूप पर हाथ से हस्ताक्षर करते हुए विनिर्माता के हस्ताक्षर और मोहर के अधीन जारी किया जाएगा।

भाग–II

(बॉडी–निर्माता द्वारा जारी किया जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि .... (यान का ब्रांड नाम) जिसकी चैसिस संख्यांक .... और इंजिन संख्यांक .... है, हमारे द्वारा बनाया गया है, और वह मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों उपबंधों के अनुरूप हैं

बॉडी–निर्माता के हस्ताक्षर

टिप्पणी – जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–22 (क) भाग– II बॉडी–निर्माता के हस्ताक्षर के साथ सम्यक् रूप से छपे हुए प्ररूप पर स्याही से हाथ से हस्ताक्षर करते हुए बॉडी–निर्माता के हस्ताक्षर और मोहर के अधीन जारी किया जायेगा।

प्रपत्र संख्या 20 के साथ संलग्न उपर्युक्त प्रपत्रों के सत्यापन के पश्चात रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी मोटर–यान के स्वामी को प्रपत्र 23 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी

राजस्थान मोटर–यान नियम 1990 के नियम 4.1 के उपनियम 1 के अनुसार जिले के लिये इस प्रकार नियुक्त जिला परिवहन अधिकारी एवं पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्यरत डीलर्स –

राजस्थान मोटर–यान नियम 1990 के नियम 4.1 के उपनियम 2 के अनुसार विधि मान्य ट्रेड सर्टिफिकेटधारी कोई भी मोटर वाहन डीलर जिसे परिवहन आयुक्त ने ऐसे निबन्धनों शर्तों और अहर्त्ताओं के अध्यधीन जो समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाती है, के अन्तर्गत पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिकृत कर रखा हो, प्रथम विक्रय पर गैर परिवहन यानों के पंजीयन अधिकारी का कार्य कर सकेगा।

OLD & NEW REGISTRATION CODE / SERIES OF THE TRANSPORT DISTRICTS OF RAJASTHAN STATE

S. No.	Name of Transport District	New Ragistration Code No.	Registering authority with designation & address.	Old Registration Series	
				Taxi Cab.	Other vehicles
1	2	3	4	5	6
1.	Ajmer	RJ-01	RTO & DTO,Ajmer	RRT 7001-8000	RJZ,RSZ,RRZ, RNW,RNZ,RPZ.
2.	Alwar	RJ-02	RTO & DTO Alwar	RST 1-500	RJA,RSA,RRA,RNA,RPD.
3.	Banswara	RJ-03	DTO Banswara	RST 501-750	RJB,RPB.
4.	Barmer	RJ-04	DTO Barmer	RST 751-1000	RJC
5.	Bharatpur	RJ-05	DTO Bharatpur	RST 1001-1500	RJD,RSD,RRD.
6.	Bhilwara	RJ-06	DTO Bhilwara	RST 1501-2000	RJE,RSE,RRE.
7.	Bikaner	RJ-07	RTO,ARTO & DTO Bikaner	RST 2001-2250	RJF,RSF,RRF, RNF.
8.	Bundi	RJ-08	DTO Bundi	RST 2251-2500	RJG.
9.	Chittorgarh	RJ-09	RTO & DTO Chittorgarh.	RST 2501-3000	RJH,RSH,RRH.
10.	Churu	RJ-10	DTO Churu	RST 3001-3250	RJI,RSI,RPI.
11.	Dholpur	RJ-11	DTO Dholpur	RRT 8001-9000	RNT.
12.	Dungarpur	RJ-12	DTO Dungarpur.	RST 3251-3500	RJJ.
13.	Sriganganagar	RJ-13	DTO Sriganganagar	RST 3501-4500	RJK,RSK,RRK,RSC,RRC,RNC,RNK,RNU.
14.	Jaipur	RJ-14	RTO,ARTO,& DTO,Jaipur	RST 1-4000.	Goods Vh.- RJL,RSL,RRL,RSM,RRM,RSG,RRG,RSB,RRB,RNB,RND, RNE,RNH,RNI,RNL,RNV,RNX,RNG. Pass.Vh.- RNP. Others- RPE,RPH,RPI,TPG, RPP.

15.	Jaisalmer	RJ-15	DTO Jaisalmer	RRT 4501-4750	RJM.
16.	Jalore	RJ-16	DTO, Jalore	RRT 4751-5000	RJN.
17.	Jhalawar	RJ-17	DTO Jhalawar	RRT 5000-5250	RJO.
18.	Jhunjhunu	RJ-18	DTO Jnunjhunu	RRT 5251-5500	RJP,RSP,RRP.
19.	Jodhpur	RJ-19	RTO,ARTO,& DTO Jodhpur	RST 4001-5000	RJQ,RSQ,RRQ,RSN,RRN,RNJ,RNM, RNN,RNQ,RNS,RPK,RPL.
20.	Kota	RJ-20	RTO,ARTO & DTO Kota	RST 5001-6000	RJR,RSR,RRR, RSO,RRQ,RNO,RNR,RPF,RPM,RPN.
21.	Nagaur	RJ-21	DTO Nagaur.	RRP 5501-6000	RJS,RSS.
22.	Pali	RJ-22	RTO & DTO Pali	RRT 6001-6500	RJT,RPA,RPC.
23.	Sikar	RJ-23	RTO, ARTO & DTO Sikar.	RRT 6751-7000 7751-8200.	RJB,RSB,RRB.
24	Sirohi	RJ-24	DTO,Sirohi	RRT7001-7500	RJW,RSW,RRW
25.	Sawai Madhopur	RJ-25	DTO Sawai Madhopur.	RRT 6501-6750	RJU,RSU,RRU.
26.	Tonk	RJ-26	DTO Tonk	RRT 7501-7750	RJX, RSX.
27.	Udaipur	RJ-27	RTO & DTO Udaipur	RST 6001-7000	RJY,RSY,RRY,RSJ, RRJ,RNY, RPJ,RPO.
28.	Baran	RJ-28	DTO Baran	-	-
29.	Dausa	RJ-29	RTO & DTO Dausa.	-	-
30.	Rajsamand	RJ-30	DTO Rajsamand	-	-
31.	Hanumangarh	RJ-31	DTO Hanumangarh	-	-
32.	Kotputli	RJ-32	DTO Kotputli	-	-
33.	Ramganjmandi	RJ-33	DTO Ramganjmandi	-	-
34.	Karauli	RJ-34	DTO Karauli	-	-
35.	Pratapgarh	RJ-35	DTO Pratapgarh	-	-
36.	Beawar	RJ-36	DTO Beawar	-	-

विशिष्ट पंजीयन नम्बर का आवंटन

राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.3 के अन्तर्गत वाहनों को विशिष्ट पंजीयन नम्बर एवं वाहन स्वामी को पूर्व में आवंटित पंजीयन क्रमांक को नये वाहन पर रिटेन किया जा सकता है।

I प्रक्रिया

यदि वाहन स्वामी द्वारा वांछित नम्बर पूर्व में आवंटित नहीं हुआ हो तो संबंधित पंजीयन अधिकारी को इस बाबत् निर्धारित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट वाहन की पंजीयन पत्रावली के साथ संलग्न करते हुए सादा कागज पर आवेदन करेगा।

II शुल्क

रजिस्ट्रेशन सीरीज में चल रहे रजिस्ट्रेशन क्रमांक के अतिरिक्त आगे आने वाले विशिष्ट पंजीयन क्रमांक आवंटन करने एवं किसी व्यक्ति को उसके नये यान के लिए उसके पुराने यान को पहले से आवंटित पुरानी संख्यांक रखने के लिए शुल्क राशि निम्नानुसार निर्धारित हैः–

क्र.सं.	यान की श्रेणी एवं विशिष्ट पंजीयन क्रमांक का वर्णन	शुल्क की राशि
1	2	3
1.	दुपहिया यान –	
	(i) पंजीयन क्रमांक 1, 9, 786 एवं 9999 आवंटित अथवा पुराने यान पर आवंटित इन नम्बरों को नये यान पर रखने (रिटेन) हेतु	5,000 रू.
	(ii) उपरोक्त उपखण्ड (i) में वर्णित पंजीयन क्रमांकों को छोड़कर शेष क्रमांकों के आवंटन अथवा पुराने यान पर आवंटित इन नम्बरों को नये यान पर रखने (रिटेन) हेतु	1,000 रू
2.	दुपहिया से भिन्न यान –	
	(i) पंजीयन क्रमांक 1 एवं 786 के आवंटन के लिये	31,000 रू.
	(ii) पंजीयन क्रमांक 2 से लेकर 9 तक एवं 11, 101, 1111 तथा 9999 के आवंटन के लिये	21,000 रू
	(iii) पंजीयन क्रमांक 1111 तथा 9999 को छोड़कर ऐसे तीन एवं चार अंक वाले पंजीयन क्रमांक, जिनमें सभी अंक समान हो	11,000 रू.
	(iv) सारणी के क्रम संख्या 2 के खण्ड (i), (ii) एवं (iii) में वर्णित उपरोक्त पंजीयन क्रमांकों को छोड़कर शेष क्रमांकों के लिये	5,000 रू.
	(v) पुराने यान पर आवंटित किसी भी नम्बर को नये यान पर रखने (रिटेन) हेतु	11,000 रू.